

Sixteenth Loksabha

pan>

Title: Introduction of the Farmer's Freedom from Indebtness Bill, 2018.

श्री राजू शेटी (हातकणगले): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बकाया ऋण की तत्काल एक मुश्त पूर्ण माफी प्राप्त करने के लिए ऋणग्रस्त कृषकों को अधिकार देने; संस्थागत ऋण प्राप्त करने के अधिकार देने; प्राकृतिक आपदा अथवा विपदा से जूझ रहे ऋणग्रस्त कृषकों के संरक्षण का उपबंध और तदनन्तर पंचाट पारित करने तथा विपदाग्रस्त कृषकों को राहत देने के लिए समुचित उपायों की सिफारिश करने की शक्ति देने सहित राष्ट्रीय कृषक विपदा और आपदा राहत आयोग तथा राज्य कृषक विपदा और आपदा राहत आयोग का गठन करने तथा उससे संबद्ध और उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to confer a right on indebted farmers to obtain an immediate one-time complete waiver of outstanding loan; right to obtain institutional credit; protection of debt trapped farmers suffering from natural disasters or distress and constitution of a National Farmers' Distress and Disaster Relief Commission and State Farmers' Distress and Disaster Relief Commissions with power to pass awards and recommend appropriate measures for the relief to farmers in distress and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री राजू शेटी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ****** करता हूँ।